राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>348/2022
ज्याना बनाम मनोज
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>30/10/25</td><td>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो।</td><td></td></tr>
<tr><td>04/11/25</td><td>आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पो. संख्या 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05/05/2022 पारित करते हुये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी के निर्वासन किये जाने खातेदारी अधिकार एवं सिवायचक, गै.मु.आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर ख़ारिज किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में किया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि यदि अपीलार्थी/वादी विवादित आराजीयात पर अपना कब्जा व आंशिक निर्माण साबित भी कर देते है तो वे केवल अतिकृमी ही माने जावेंगे एवं अतिकृमी को वास्तविक स्वामी के खिलाफ कोई अधिकार सृजित नही होते है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद पोषणीय नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/05/2022 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाते है एवं अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर